संख्या-19/2018/507/94स्टा०नि०-2-18-700(335)/2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 04 जून, 2018

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के जनपदों में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल-प्लाजा पर टोल टैक्स वसूल करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्टाम्प एवं निबंधन, अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-13/2015/379/94-स्टा०नि०-2-2016-700(289)/2015, दिनांक 04-04-2016 द्वारा अमरोहा के एक प्रकरण में एवं कतिपय अन्य प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों एवं एन०एच०ए०आई० के प्रतिनिधियों के मध्य दिनांक 28-03-2016 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि टोल संग्रह किये जाने वाले टोल प्लाजा के विलेख एवं अनुबन्ध पत्र के प्रकरण में स्टाम्प शुल्क देय है, किन्तु पूर्व में निष्पादित अनुबन्ध पत्रों पर स्टाम्प शुल्क वसूल करने में व्यवहारिक कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए उन पर छूट के नीतिगत प्रकरण पर शासन स्तर पर विचार किया जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त बी०ओ०टी० एवं ओ०एम०टी० के प्रकरण में निष्पादित विलेखों और अनुबन्ध पत्रों पर स्टाम्प शुल्क का परीक्षण पृथक विद्यमान नियमों एवं मा० न्यायालयों के विभिन्न आदेशों के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में शासनादेश दिनांक 14-09-2015 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में एन०एच०ए०आई० द्वारा टोल संग्रह किये जाने की सभी विधियों/अनुबन्ध-पत्रों पर स्टाम्प कमी की वसूली के लिए अभी कोई कार्यवाही न की जाय एवं जिन प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, उनमें अग्रिम निर्देशों तक कार्यवाही स्थगित रखी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. शासन के संज्ञान में आया है कि स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-13/2015/379/94-स्टा०नि०-2-2016-700(289)/2015, दिनांक 04-04-2016 के दिशा-निर्देशों का पालन कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अनेकों रिट याचिकाएं मा० उच्च न्यायालय में दायर हो रही है।

3. उक्त के सम्बन्ध में पुनः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-13/2015/379/94-स्टा०नि०-2-2016-700(289)/2015, दिनांक 04-04-2016 वर्तमान में प्रभावी है। अतः "उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में एन०एच०ए०आई० द्वारा टोल संग्रह किये जाने की सभी विधियों/अनुबन्ध-पत्रों पर स्टाम्प कमी की वसूली के लिए अभी कोई कार्यवाही न की जाय एवं जिन प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, उनमें अग्रिम निर्देशों तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, उनमें अग्रिम निर्देशों तक कार्यवाही स्थगित रखी जाय।"

भवदीय,

हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव।

संख्या-19/2018/507(1)/94-स्टा०नि०-2-2018, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र० इलाहाबाद/महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त उपायुक्त, स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त सहायक आयुक्त, स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।